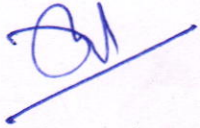


परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के ग्राम अजबपुर कलां अन्तर्गत देवांचल विहार में नलकूप निर्माण हेतु अपेक्षित $(6.00 \times 5.00 = 30.00$ वर्ग मी० अर्थात् 0.0030 है० (ग्राम समाजों में निहित, जंगल वन विभाग) भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना के लिये ली गई वन भूमि के सीमांकन करने हेतु आर०सी०सी० पिलरों का निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।


प्रयोक्ता एजेन्सी
अधिशाली अभियन्ता
यांत्रिक शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
देहरादून

प्राक्कलन बावत

कार्य का नाम :-जनपद-देहरादून के ग्राम अजबपुर कलां अन्तर्गत देवांचल विहार में नलकूप निर्माण हेतु अपेक्षित (6.00x5.00=30.00वर्ग मी० अर्थात् 0.0030है०) ग्राम समाजों में निहित, जंगल वन विभाग) की भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यो हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप प्रस्तावित कार्य के चारों ओर सीमांकन हेतु सीमा पिलरों का निर्माण कार्य का प्राक्कलन।

परियोजना हेतु अपेक्षित कुल वन भूमि - 0.0030है०

प्रस्तावित भूमि की वैधानिक स्थिति -ग्राम समाजों में निहित, जंगल वन विभाग की भूमि कुल लम्बाई-चौड़ाई-(6.00x5.00=30.00वर्ग मी० अर्थात् 0.0030है०) = 4 पिलर

चयनित क्षेत्र की जी०पी०एस० लोकेशन -N3०°17'37.1"EO78°०4'०5.4"to

N

EO

कं० सं०	कार्य का विवरण	इकाई /सं०	नपत (मी० में)			इकाई दर (रु०)	धनराशि
			लम्बाई	चौड़ाई	ऊंचाई		
1	पत्थरों के पक्के पिलर बनाने हेतु बुनियाद खोदना। 1:6 सीमेन्ट बजरी मशाले में पत्थरों से चिनाई करना। 1:4 सीमेन्ट मशाले में प्लास्तर करना तथा दो कोट चूना/सफंदी करना, सम्पूर्ण सामग्री की कीमत व ढुलान सहित।	4	0.60	0.60	0.60	2974.00	11896.00
योग :-							11896.00

प्रशासीय वन अधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

वन प्रशासीय वन अधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
देहरादून

वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज,
मसूरी वन प्रभाग

(जोसेफ/सिहरावत)
वन देहात
रायपुर रेंज